निर्णय बईजलास अजय सिंह राठौड़ आई0ए0एस0 जिला कलक्टर, झालावाड़

मि0न0 32/प्रा0पत्र/23

तारीख दायरा 03.03.2023

उनवान प्रा0पत्र

राज0 सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक
जिला रसद कार्यालय झालावाड़ प्रार्थी

बनाम

श्री राधेश्याम पुत्र मथुरालाल लोधा
नि0 घाटोली तहसील अकलेरा झालावाड़, अप्रार्थी

प्रा0अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत जब्त 10 अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर, 02 मोटर व एक इलेक्ट्रोनिक तौल कांटा को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः– पेरोकार रसद

–: निर्णय :–

दिनांकः 06.03.2024

यह प्रा0पत्र प्रर्वतन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय झालावड़ के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत पेश किया गया है। प्रा0पत्र मेंमों में निवेदन किया है कि दिनांकः 09.02.2023 को जिला रसद कार्यालय के प्रर्वतन निरीक्षक मौका स्थल पर पहुंचे जंहा घरेलू गैस सिलेंडर का दुरूपयोग एवं अवैध रूप से भण्डारण किया जाना प्रतीत होना पाया गया। मौके पर अप्रार्थी राधेश्याम पुत्र मथुरालाल लोधा नि0 घाटोली उपस्थित मिले। वक्त जांच तलाशी लेने पर 10 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर एचपीसीएल कम्पनी के 02 मोटर व 01 इलेक्ट्रोनिक तौल कांटा का भण्डारण होना पाया गया। जब्त 10 सिलेण्डर एचपीसीएल गेस सिलेण्डर, 02 मोटर एवं 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा को मेसर्स अकलेरा एचपी गैस ऐजेंसी अकलेरा के प्रोपराईटर श्री रमेश गुर्जर निवासी अकलेरा की सुपुर्दगी में दिये गये। फर्द मौका जब्ती एवं सुपुर्दगीनामा मौके पर अलग से बनाया गया। अनुदानित घरेलू गैस का अवैध उपयोग करके LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लाज 3(1) (सी), 4(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जप्तशुदा उक्त सामग्री को राजसात करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए।

बहस पेरोकार रसद सुनी गई। अप्रार्थी दौराने बहन उपस्थित नहीं होने से उनका पक्ष नहीं सुना जा सका। पेरोकार रसद द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि प्रवर्तन स्टाफ घरेलू गैस सिलेंडरों व अन्य सामग्री के अवैध व्यवसायिक उपयोग रोकने के लिये जांच हेतु मौका स्थल पर पंहुचे। वक्त जांच तलाशी लेने पर 10 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर एचपीसीएल कम्पनी के 02 मोटर एवं 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा का भण्डारण होना पाया गया। जिस हेतु मांग करने पर भण्डारण संबंधित किसी भी तरह का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया। अप्रार्थी द्वारा सिलेण्डर का अवैध व्यवसायिक उपयोग करके LPG(REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लाज 3(1) (सी), 4(1) (सी) की स्पष्ट अवहेलना

की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6 ए के तहत अभिग्रहित सामान को राजसात किया जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व बहस पेरोकार रसद पर मनन किया। प्रवर्तन स्टाफ द्वारा अप्रार्थी के यहां की गई कार्यवाही के दौरान तलाशी लेने पर 10 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर एचपीसीएल कम्पनी के, 02 मोटर एवं 01 ईलेक्ट्रोनिक कांटा का भण्डारण होना पाया गया। जिस हेतु मांग करने पर भण्डारण संबंधी किसी भी तरह का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि घरेलु गैस सिलेण्डर घरेलू उपभोक्ताओं के उपयोग के लिये है, दौराने तलाशी गैस सिलेण्डर के साथ 02 मोटरें व ईलेक्ट्रोनिक कांटे का मिलना यह जाहिर करता है कि अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध व्यवसायिक उपयोग करता है। अप्रार्थी द्वारा बिना किसी वैध दस्तावेज के 10 घरेलू गैस सिलेण्डर, मोटरें व ईलेक्ट्रोनिक कांटे को रखना घरेलू गैस सिलण्डर का अवैध रूप से दुरूपयोग करने की श्रेणी में आता है। इस प्रकार यह साबित है कि अप्रार्थी द्वारा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रूप से गैस सिलेण्डर से रिफलिंग/व्यावसायिक कार्य किया जाता है। अप्रार्थी का यह कृत्य LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लाजं 3(1) (सी), 4(1)(सी) का स्पष्ट उल्लघंन है। अप्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावजी साक्ष्य नहीं किये है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 10 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर एचपीसीएल कम्पनी के, 02 मोटर एवं 01 ईलेक्ट्रोनिक कांटे को राजसात किया जाता है, साथ ही राजसात किये गये गैस सिलेण्डरों को संबंधित तेल/गैस कम्पनी को लोटाये जाने तथा इनको नये जारी होने वाले गैस कनेक्शनों के उपभोक्ताओं को जारी कर इससे प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कराये जाने का आदेश दिया जाता है। जब्त मोटरों एवं ईलेक्ट्रोनिक कांटे का विधि द्वारा सुस्थापित प्रकियानुसार निस्तारण किया जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांकः 06.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner